

Act No. 25 of 2013

2013 का विधेयक संख्यांक 6

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

# चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

## खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. धारा 41 का संशोधन ।

## चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथा संशोधित पारित)

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2013 है । संक्षिप्त नाम  
और प्रारम्भ ।

(2) यह 29 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2009 का 2 2. चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 की धारा 41 का धारा 41 की उपधारा (2) के परन्तुक में "पच्चीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पचास वर्ष" शब्द रखे जाएंगे । धारा 41 का  
संशोधन ।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

शिमला-171004.

दिनांक : 29-4 -2013

मैं इस विधेयक पर अनुमति देती हूँ

श्री ज. वि. ए. दी. भा. म. डे. ए. म.

अध्यक्ष ।  
अध्यक्ष

हिमाचल प्रदेश  
विधान सभा, शिमला

राज्यपाल

राज्यपाल  
हिमाचल प्रदेश

शिमला-171002.

दिनांक 28-4-2013

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

BILL NO. 6 OF 2013

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND REGULATION)  
AMENDMENT BILL, 2013**

**ARRANGEMENT OF CLAUSES**

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 41.

**THE CHITKARA UNIVERSITY (ESTABLISHMENT AND  
REGULATION) AMENDMENT BILL, 2013**

(PASSED AS AMENDED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Chitkara University (Establishment and Regulation) Act, 2008  
(Act No. 2 of 2009).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the  
Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Chitkara University  
(Establishment and Regulation) Amendment Act, 2013.


Short title  
and  
commence-  
ment.

(2) It shall be deemed to have come into force on 29<sup>th</sup> day of April,  
2008.

2. In section 41 of the Chitkara University (Establishment and  
Regulation) Act, 2008, in sub-section (2), in the proviso, for the words  
“twenty five years”, the words “fifty years” shall be substituted.

Amendment  
of section  
41.

में, "चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 6)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करती हूँ ।

  
राज्यपाल  
हिमाचल प्रदेश, देहरादून

राज्यपाल ने "चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 6)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

चिराग मान सिंह  
सचिव (विधि),  
हिमाचल प्रदेश सरकार।